संख्याः /XXVIII–2/2016–01(120)/2008

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड ।

चिकित्सा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 जुलाई, 2016

विषयः **मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों तथा राज्य में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत व्यापक जनहित में राज्य के पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित् कराये जाने हेतु मौलिक रूप से नियुक्त प्रान्तिय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संवर्ग के समस्त कार्यरत चिकित्साधिकारियों को विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (SDACP) योजना का लाभ प्रदान किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्याः–475/XXVIII–2/15–01 (120)/2008 दिनांक 25 मई, 2015 को अतिक्रमित करते हुये दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से विशेष डायनमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन(SDACP) योजना उत्तराखण्ड के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग एवं दन्त शल्यक सेवा के संवर्ग समस्त चिकित्साधिकारियों को उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014 में प्राविधानित पदोन्नति सोपान के दृष्टिगत 04, 09, 13 एवं 20 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः ग्रेड वेतन ₹ 6600, ₹ 7600, ₹ 8700 एवं ₹ 8900 के पदोन्नत वेतनमान मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों को निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1) एस0 डी0 ए0 सी0 पी0 निम्नानुसार पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सेवा करने के उपरान्त अनुमन्य होगी। उक्त अवधि में अवकाश की गणना नहीं की जायेगी :–

क्रम	एस0डी0ए0सी0पी0 हेतु अर्हकारी आवश्यक सेवावधि (मौलिक नियुक्ति के पश्चात्)	अनुमन्य उच्चतर वेतनमान	पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सेवा
1.	04 वर्ष (प्रथम स्तरोनयन)	₹ 6600/–	02 वर्ष
2.	09 वर्ष (द्वितीय स्तरोनयन)	₹ 7600/–	05 वर्ष
3.	13 वर्ष (तृतीय स्तरोनयन)	₹ 8700/–	07 वर्ष
4.	20 वर्ष (चतुर्थ स्तरोनयन)	₹ 8900/–	09 वर्ष

१८५P

2) उपरोक्तानुसार जो चिकित्सक एस0डी0ए0सी0पी0 हेतु निर्धारित आवश्यक अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण करते हैं, परन्तु पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र की अर्हकारी सेवा का प्रतिबन्ध पूर्ण नहीं करते हैं, उनके द्वारा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्र में आवश्यक सेवा पूर्ण कर लिये जाने पर यह लाभ अनुमन्य होगा। इस सम्बन्ध में वेतन आदि के एरियर का भुगतान उक्तानुसार पात्रता पूर्ण करने की तिथि के तत्काल पश्चात् एकमुश्त कर दिया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एस0डी0एस0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के पूर्व अनुमन्य नहीं हो सकता है।

3) एस0डी0ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने में किसी अधिकारीविशेष के प्रकरण की अपवादिक स्थिति में जो इस शासनादेश के मूल प्राविधानों से असंगत न हो, प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन –अध्यक्ष।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य

इस समिति की अनुशंसा के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से उच्चादेशोंपरान्त शिथिलीकरण अनुमन्य होगा।

4) चिकित्सकों को अनुमन्य पर्वतीय/दुर्गम भत्ते की दरों को संशोधित करते हुये दुर्गम क्षेत्रों के लिये मूल वेतन का 10 प्रतिशत एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में दुर्गम एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

5) योजना का लाभ चिकित्साधिकारी के सेवा में प्रवेश पर प्रथम नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् देय होगा।

6) चिकित्साधिकारी की प्रथम प्रदोन्नति न होने पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन, कोई पदोन्नति न होने परन्तु प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने पर द्वितीय स्तरोन्नयन एवं इसी प्रकार तृतीय तथा चतुर्थ स्तरोन्नयन प्रदान किया जायेगा।

7) सेवा में 01 पदोन्नति प्राप्त करने, परन्तु किसी स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त न करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एवं इसी प्रकार 02 पदोन्नति प्राप्त करने पर तृतीय तथा 03 पदोन्नति प्राप्त करने पर चतुर्थ वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्रदान किया जायेगा।

8) सेवा में पूर्व से ही 04 पदोन्नतियां प्राप्त चिकित्साधिकारियों को एस0डी0ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत किसी प्रकार के वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नहीं होगा।

9) वित्तीय स्तरोन्नयन प्रदान करने हेतु विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी, जिसमें वरिष्ठतम निदेशक एवं शासन के अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे।

10) स्क्रीनिंग कमेटी अंतिम निर्णय के लिए अपनी आख्या शासन को प्रस्तुत करेगी।

11) स्क्रीनिंग कमेटी वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु पदोन्नति के समान ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर निर्णय लेते हुए स्तरोन्नयन प्रदान करने की संस्तुति करेगी।

12) विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुमन्य विशेषज्ञ भत्ता पूर्व की भॉति इस शर्त के अधीन देय होगा कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक क्लीनिकल कार्य देख रहे हैं, उन्ही को विशेषज्ञ भत्ता अनुमन्य होगा एवं जो विशेषज्ञ चिकित्सक प्रशासनिक कार्यो का निर्वहन करेंगे, उन्हें विशेषज्ञ भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

3:— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–691/XXVII (7)/2015, दिनांक–14 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 684 (1)/XXVIII–2/16–01(120)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- आयुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल।
3- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5- महानिदेशक,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7- वित्त नियंत्रक,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक।
10- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
11- निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
12- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
13- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
14- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक।
15- अध्यक्ष/महासचिव, प्रान्तीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं दन्त शल्यक सेवा संघ, उत्तराखण्ड।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
अनुसचिव।